P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-12* March- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बी.एड. इन्टर्नशीप के संदर्भ में छात्राध्यापकों के अभिमत का अध्ययन

सारांश

सभी व्यवसायिक पाठ्यचर्याओं में लक्ष्य समूह (Target group) के साथ वास्तविक अनुभव लेना आवश्यक हैं इसके अभाव में व्यवसायिक दक्षता विकसित होना असंभव हैं। अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या में भी व्यवसायिक समझ 'दक्षता' कौशल एवं उचित दृष्टिकोण विकसित करने, पर्याप्त समय विद्यालय अनुभव के लिए दिया जाने के लिए बी.एड. (प्रथम वर्ष) तथा बी.एड. (द्वितीय वर्ष) में इन्टर्नशीप का प्रावधान रखा गया हैं। इन्टर्नशीप कार्यक्रम जिस मंशा के साथ NCTE ने करने की अनुशंसा की वह कहाँ तक पूरी हो रही इस बात का जानने का प्रयास इस लघु अनुसंधान के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया हैं।

फरज़ाना इरफान
व्याख्याता,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
विद्या भवन गोविन्द राम
शिक्षक महाविद्यालय (CTE),
उदयपुर, राजस्थान

प्रमोद आमेटा
व्याख्याता,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
विद्या भवन गोविन्द राम
शिक्षक महाविद्यालय (CTE),
उदयपुर, राजस्थान

मुख्य शब्द : इन्टर्नशीप कार्यक्रम, मेन्टर अध्यापक, आमुखीकरण कार्यक्रम, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन

प्रस्तावना

माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यचर्या लागू हुए 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। एक बैच उत्तीर्ण हो कर निकल गया है दूसरे बैच की भी लगभग अपनी इन्टर्नशीप पूरी होने वाली हैं।

NCTE Regulation 2009 तथा 2014 दोनों में विद्यालयों के अनुभव को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके अन्तर्गत इन्टर्नशीप को संगठित करने के लिए कुछ सिद्धान्त बनाए गए–

1. एन.सी.टी.ई., राज्य शिक्षा विभाग, विद्यालय तथा अध्यापक शिक्षा संस्थाएं शिक्षक तैयार करने में समान रूप से जिम्मेदार हैं।
2. अध्यापक शिक्षा संस्था तथा विद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाए।
3. इन्टर्नशीप करने वाला छात्राध्यापक पूर्णकालिक (full time) अध्यापक की तरह कार्य करेगा।
4. इन्टर्नशीप विद्यालय का दक्ष व इच्छुक अध्यापक मेंटर अध्यापक बनाया जाए।
5. छात्राध्यापकों को विविध संदर्भ (सरकारी/निजी, शहरी, ग्रामीण, आदीवासी) में अनुभव प्रदान करने के अवसर दिए जाए।
6. इन्टर्नशीप विद्यालय लैब विद्यालयों की तरह कार्य करें जिसमें अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के संकाय सदस्य, छात्राध्यापक, विद्यालय अध्यापक, विद्यार्थी तथा समुदाय अन्तःक्रियात्मक रूप से जुड़े, प्रयोग तथा सूचनाओं के संग्रहण के अवसर उपलब्ध हो सके।

इन सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए NCTE ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का निर्धारण किया जो निम्नानुसार हैं–

अध्ययन काल

प्रस्तुत शोध मार्च 2017 से मार्च 2018 की समयावधि के मध्य किया गया है।

साहित्य अवलोकन

1. यह इन्टर्नशिप कार्यक्रम 2015 को द्वि वर्षिय पाठ्य चर्या में ही सम्मलित हुआ है। अतः इस पर विशेष पी.एचडी. स्तर पर शोध कार्य नहीं हुआ। लेकिन जो कार्य हुआ वह एम.एड. स्तर पर लघु शोध कार्य किया। जो इस प्रकार से है।
2. शर्मा कुमार मनीष 2014 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बी.एड. पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन
3. पल्लव कुमार हरीश 2015 ने नवीन बी.एड. पाठ्यक्रम के संदर्भ मे अध्यापक के अभिमत का अध्ययन किया।

4. कुमार प्रकाश 2015 द्वि वर्षीय बी.एड. कार्यक्रमों के प्रति अभिधारकों का अभिमत पर अध्ययन किया।
5. भादू रामदेव 2017 नवीन द्वि वर्षीय बी.एड. पाठ्यचर्या के प्रति अभिधारकों के अभिमत का अध्ययन

NCTE की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

1. इन्टर्नशीप नीति का निर्धारण
2. इन्टर्नशीप के लिए हैण्ड बुक बनाना जिसमें इन्टर्नशीप के कार्य, आकलन का स्वरूप भी स्पष्ट करना।

राज्य शिक्षा विभाग की भूमिका एवं जिम्मेदारी

राज्य स्तर पर

1. राज्य की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का डेटा बेस तैयार करना।
2. इन्टर्नशीप / लैब विद्यालयों की आवश्यकता का पता लगाना (100 छात्राध्यापकों के लिए 10 विद्यालय)।
3. राज्य स्तर पर इन्टर्नशीप नीति व दिशा निर्देश बनाकर मॉनिटिंरिग व्यवस्था करना।
4. जिलेवार इन्टर्नशीप रिपोर्ट का समेकन कर NCTE को भेजना।

जिला स्तर पर

1. सम्बन्धित संस्थाओं के साथ मिलकर इन्टर्नशीप कलैण्डर बनाकर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को आंवटित करना।
2. मॉनिटिंरिग करना तथा रिपोर्ट राज्य स्तर पर भेजना।

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारी

1. इन्टर्नशीप विद्यालयों को हैण्डबुक उपलब्ध करवाना।
2. इन्टर्नशीप विद्यालयों के प्राचार्यों व मेंटर अध्यापक के साथ आमुखीकरण–परामर्श बैठक (orientation-cum-consultation meeting) आयोजित की जानी चाहिए।
3. मेंटर अध्यापक के साथ मिलकर इन्टर्नशीप के समय करवाई जाने वाली अतिरिक्त गतिविधियों को विकसित करना।
4. अध्यापक शिक्षक विद्यालय मेंटर अध्यापक के साथ पाक्षिक समीक्षा करें।
5. छात्राध्यापकों के साथ नियमित अन्तराल के बाद अनुगमन (फॉलोअप) करना।
6. विद्यालय मेंटर अध्यापक के साथ मिलकर छात्राध्यापकों का मूल्यांकन किया जाए।

इन्टर्नशीप/लैब विद्यालय की भूमिका

1. योग्यताधारी उत्साही अध्यापक की पहचान कर उसे अध्यापक शिक्षा संस्था से मेंटर अध्यापक के रूप में जोड़े तथा आमुखीकरण का अवसर उपलब्ध करवाएं।
2. छात्राध्यापक प्रार्थना सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अभिभावक–शिक्षक बैठक, अन्तर सदन प्रतियोगिताओं में सहभागिता दें।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि NCTE राज्य का शिक्षा विभाग, विद्यालय व अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के संयुक्त जिम्मेदारी से यह इन्टर्नशीप करवाई जाये। शिक्षा विभाग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छात्राध्यापकों को 16 सप्ताह के लिए विद्यालय आवंटित किए। इन छात्राध्यापकों ने अपने 16 सप्ताह की गहन इन्टर्नशीप में क्या सीखा? क्या बाधाएं रही? क्या हो सकता है? इस लघु शोध के माध्यम से जानने का प्रयास किया है।

शोध उद्देश्य

बी.एड. द्वितीय वर्ष इन्टर्नशीप कार्यक्रम के प्रति छात्राध्यापकों के अभिमत का निम्नलिखित संदर्भ में अध्ययन करना–

1. इन्टर्नशीप आमुखीकरण कार्यक्रम
2. कक्षा–कक्ष शिक्षण
3. सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन
4. उपचारात्मक कार्यक्रम
5. कार्यालय पत्रावली का संधारण
6. विद्यालयी मेन्टर अध्यापक की भूमिका

शोध परिसीमन

उदयपुर जिले के 4 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों तक सीमित रहा।

शोध विधि

सर्वेक्षण

शोध उपकरण

स्व निर्मित प्रश्नावली

शोध प्रविधि

प्रतिशत

न्यादर्श

चार अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों के 40 छात्राध्यापकों (बी.एड. द्वितीय वर्ष) का चयन याच्छिक चयन विधि से किया गया।

बी.एड. इन्टर्नशीप कार्यक्रम के संदर्भ में छात्राध्यापकों (प्रश्नावली के माध्यम) से प्राप्त जानकारी एवं तथ्यों का विश्लेषण (प्रतिशत में)

प्रश्न	हाँ	नहीं	कभी–कभी
महाविद्यालय में इन्टर्नशीप आमुखीकरण हुआ	37.5	62.5	-
कक्षा शिक्षण में स्वयं चयनित विषय पढ़ाया	32.5	67.5	-
प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ाया	62.5	-	-
उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया	20	-	-
माध्यमिक स्तर पर पढ़ाया	17.5	-	-
कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ योजना मेंटर अध्यापक से निर्देशक/ अनुमोदन करवाई गई	25	75	-
पाठ योजना पुस्तिका में पर्यवेक्षण टिप्पणी लिखी गई	5	75	20
शिक्षण–अधिगम सामग्री का उपयोग किया	17.5	47.5	35

विद्यालयी समय में सत्रीय कार्य करने के लिए समय की पर्याप्त उपलब्धता	27.5	55	17.5
पत्रावली/दस्तावेजों का अध्ययन करने पर्याप्त अवसर	22.5	30	47.5
पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन के अवसरों की उपलब्धता	40	20	40
विद्यालय मेन्टर अध्यापक का सहयोगात्मक रवैया	32.5	12.5	55
सामुदायिक कार्य			
(i) रैली	30	-	-
(ii) स्वच्छता अभियान	62.5	-	-
(iii) अन्य कार्य	7.5	-	-
व्यक्तिवृत अध्ययन किया गया	25	42.5	32.5
महाविद्यालय अध्यापक शिक्षकों के निर्देशन सम्बन्धी आवश्यकता रही	92.5	7.5	-

उपरोक्त सारणी अनुसार स्पष्ट है कि–

1. 37.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार महाविद्यालय में इन्टर्नशीप आमुखीकरण कार्यक्रम हुआ जबकि 62.5 प्रतिशत के अनुसार नहीं हुआ।
2. कक्षा शिक्षण में 32.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों अपना शिक्षण विषय पढ़ाने को मिला जबकि 62.5 प्रतिशत ने दूसरे विषय पढ़ाए।
3. बी.एड. पाठ्यचर्या माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को तैयार करती हैं 62.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों को प्राथमिक स्तर की कक्षाएं, 20 प्रतिशत को उच्च प्राथमिक स्तर की केवल 17.5 प्रतिशत को माध्यमिक स्तर की कक्षाएं शिक्षण हेतु दी गई।
4. कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का अनुमोदन/निर्देशन 25 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार लिया गया 75 प्रतिशत ने कहा कि अनुमोदन नहीं लिया जाता था।
5. पाठ योजना पुस्तिका में पर्यवेक्षण टिप्पणी के संदर्भ में 5 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार मेंटर अध्यापक मौखिक व लिखित टिप्पणी करते है जबकि 75 प्रतिशत के अनुसार नहीं करते, 20 प्रतिशत के अनुसार कभी–कभी प्राप्त हुई।
6. इन्टर्नशीप विद्यालय में सत्रीय कार्य करने के लिए 27.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार समय मिला, 55 प्रतिशत के अनुसार नहीं जबकि 17.5 के अनुसार कभी–कभी मिलता था।
7. विद्यालय पत्रावली/दस्तावेजों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर/सहायता 22.5 छात्राध्यापकों के अनुसार मिली, 30 प्रतिशत के अनुसार नहीं मिली 47. 5 के अनुसार कभी–कभी मिली। जिन विद्यालयों में कार्यालय सहायक थे उनमें पत्रावली अध्ययन के अवसर छात्राध्यापकों को मिले।
8. पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजित करने अवसर, 40 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार मिला, 20 प्रतिशत के अनुसार नहीं 40 प्रतिशत के अनुसार कभी–कभी प्राप्त हुए। इस संदर्भ में छात्राध्यापकों का मत है कि विद्यालयों में पाठ्य सहगामी गतिविधियों व खेलों को महत्व नहीं दिया जाता है।
9. 32.5 छात्राध्यापकों के अनुसार इन्टर्नशीप की गतिविधियों के आयोजन में विद्यालय मेन्टर अध्यापक का सहयोग प्राप्त हुआ, 12.5 प्रतिशत के अनुसार सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जबकि 55 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार कभी–कभी सहयोग प्राप्त होता था।
10. इन्टर्नशीप काल में सामुदायिक कार्य के अन्तर्गत 30 प्रतिशत छात्राध्यापकों ने जागरूकता रैली निकाली, 62.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों ने स्वच्छता कार्य तथा 7. 5 प्रतिशत ने अन्य गतिविधियाँ आयोजित की।
11. 92.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों का मत है कि इन्टर्नशीप काल में अध्यापक शिक्षकों के निर्देशन की आवश्यकता थी जिससे वह वंचित रहे 7.5 प्रतिशत के अनुसार उन्हें अध्यापक शिक्षकों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं रही।

बी.एड. (द्वितीय वर्ष) के इन्टर्नशीप काल में छात्राध्यापकों के अनुसार आने वाली समस्याओं का विश्लेषण

1. 70 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाओं का भार होने के कारण इन्टर्नशीप सम्बन्धित गतिविधियों के लिए समय का अभाव रहा।
2. 55 प्रतिशत छात्राध्यापकों का मत है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के सम्बन्ध में विद्यालय अध्यापकों का उपेक्षात्मक व्यवहार रहता हैं। विद्यालय अध्यापक इन गतिविधियों को महत्वपूर्ण नहीं मानते उनके अनुसार यह पढ़ाई का समय खराब करती हैं।
3. 80 प्रतिशत विद्यालय प्रशासन प्रायोगिक कार्यों एवं स्थानीय संसाधनों क प्रति विद्यार्थियों को अनुभव देने प्रति उदासीनता रखते हैं इसका कारण उनके अनुसार अनुशासनहीनता बढ़ती है बाहर ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं, अभिभावक अनुमति नहीं देते।
4. 57.5 प्रतिशत के अनुसार नक्शे विज्ञान के सामान्य उपकरण ग्राफ पेपर जैसी न्यूनतम आवश्यक अधिगम सामग्री विद्यालय, विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं।
5. 47.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन में कठिनाई आई क्योंकि यहाँ कार्यालय सहायक थे नहीं तथा अध्यापकों का असहयोग रहा।
6. 67.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार विद्यालय में मेन्टर अध्यापक नहीं बनाए गए अतः पाठ योजना के लिए निर्देशन, कक्षाओं में पर्यवेक्षण करने तथा उचित पृष्ठ पोषण का अभाव रहा।
7. 62 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार उन्हें प्राथमिक कक्षाएँ पढ़ाने के लिए दी जाती थी। अतः

कक्षा–शिक्षण व अभ्यास पुस्तिका (डायरी) की पाठ योजनाओं में समन्वय का अभाव था।

8. 37.5 प्रतिशत छात्राध्यापकों का मत है कि विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था नहीं थी। जहाँ पर पुस्तकालय व्यवस्था भी वहाँ विद्यार्थियों को इसका उपयोग नहीं करने देते थे।
9. 32.5 प्रतिशत छात्राध्यापको के अनुसार विद्यालय अध्यापक नवाचारों को स्वीकार नही करते हैं। वह परम्परागत शिक्षण को प्रभावी मानते हैं क्योंकि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में परीक्षा प्रणाली को प्रधान स्थान देते हैं।
10. 85 प्रतिशत छात्राध्यापकों के अनुसार इन्टर्नशीप मानदेय मिलना चाहिए क्योंकि सुदूर गाँव के विद्यालयों में आवागमन ने अतिरिक्त आर्थिक भार डाला है।

छात्राध्यापकों से प्राप्त सुझाव

1. अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों में इन्टर्नशीप सघन आमुखीकरण की आवश्यकता हैं। यह आमुखीकरण केवल छात्राध्यापकों का ही नहीं बल्कि विद्यालय मेन्टर अध्यापकों का भी होना आवश्यक है।
2. छात्राध्यापकों को कक्षा 6–10 तक की या उससे ऊपर 11–12वीं (यदि कोई स्नातकोत्तर है) कक्षाएँ शिक्षण हेतु देनी चाहिए।
3. इन्टर्नशीप काल में नियमित अन्तराल पर महाद्यिालय में एक–दो दिन कक्षा लगनी चाहिए जिससे सतत् निर्देशन प्राप्त हो।
4. प्रायोगिक कार्य हेतु संसाधनों की न्यूनतम उपलब्धता विद्यालय स्तर पर होनी चाहिए।
5. प्रायोगिक कार्य तथा क्षेत्र अनुभव के प्रति विद्यालय अध्यापकों का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा।
6. महाविद्यालय को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए छात्राध्यापकों के निर्देशन व मूल्यांकन की सतत् एवं व्यापक व्यवस्था करनी चाहिए। लिखित कार्य का रिकॉर्ड व मौखिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन की वैधता नहीं हो सकती।
7. विद्यालय से छात्राध्यापकों के ग्रेड न लेकर गुणात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त करना चाहिए जिससे मेंटर अध्यापक की Ticking प्रवृत्ति पर नियंत्रण लग सके।
8. इन्टर्नशीप का मानदेय मिलना चाहिए क्योंकि गृह जिला होने के बाद भी विद्यालय दूर होने के कारण छात्राध्यापकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार का बोझ पड़ता हैं।
9. विद्यालय में आठों कालांश कक्षा–शिक्षण के लिए न दिए जाए कुछ कालांश अन्य गतिविधियों के आयोजन तथा योजना निर्माण हेतु भी होना चाहिए।

निष्कर्ष

1. इन्टर्नशीप हेण्डबुक विकसित करनी चाहिए।
2. छात्राध्यापकों तथा विद्यालय मेन्टर अध्यापकों का गहन आमुखीकरण होना चाहिए। मेन्टर अध्यापक को अलग पहचान प्रदान करके विद्यालय व अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के मध्य योजक कड़ी बनानी होगी।
3. अध्यापक शिक्षक तथा विद्यालय अध्यापकों के चिंतन, विचारों व दृष्टिकोण को समान धरातल पर लाना होगा।
4. इन्टर्नशीप मूल्यांकन प्रक्रिया के पेरामीटर निश्चित करने होंगे जिसमें मेन्टर अध्यापक, अध्यापक शिक्षक तथा बाह्य परीक्षक तीनों की भागीदारी हो।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *NCTE Regulation 2014, Part III-Sec. 4, pp. 26-27*
2. *School Internship : Frame Work and Guidelines (2016) NCTE. New Delhi.*
3. *Curriculum Frame Work : Two year B.Ed. Programme, NCTE P. No. 6.*
4. *BUCH M.B. (1983-1988)fourth survey of research education new Delhi vol-1 NCERT*
5. *BUCH M.B. (1988-1992)fifth survey of research education new Delhi vol-1 NCERT*
6. *BUCH M.B. (1993-2000)sixth survey of research education new Delhi vol-1 NCERT*
7. *Indian Educational Abstracts (1997) Vol-7, NewDelhi*